5-मेल

राजस्थानसरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/ 5609 जयपुर, दिनांकः 10.10.2013

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः शासन सचिव एवं आयुक्त,
सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः विधानसभा आम चुनाव, 2013 – राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों/राजनैतिक व्यक्तियों/दलों के फोटो हटाने के संबंध में।

प्रसंगः निर्वाचन विभाग का पत्र क्रमांक 5054 दिनांकः 30.09.2013 एवं क्रमांक 5400 दिनांक 08.10.2013 तथा आपका पत्र क्रमांक एफ5(737) डीओआईटी/टेक/13/T/12090/2013 दिनांक 09.10.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजकीय विभागों/उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों/राजनैतिक व्यक्तियों/राजनैतिक दलों के फोटो/नाम आदर्श आचार संहिता लागू होने के तत्काल बाद से ही हटाये जाने थे। आपने अवगत कराया है कि अनेक विभागों के विभागाध्यक्ष ने संबंधित विभाग की फोटो गैलेरी में अपलोड की गई माननीय मख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रीगण एवं मंत्रिगणों की फोटो के हटाने या न हटाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने हेतु जरिये ई–मेल सूचित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की प्रति के साथ आपको एवं संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके थे कि सभी राजकीय विभागों/उपक्रमों की वेबसाईट से उक्त फोटो एवं नाम हटाये जाने है, इसके साथ ही वेबसाईट की फोटो गैलेरी से भी इस तरह की सामग्री हटाई जानी है। इतने स्पष्ट निर्देश होते हुए भी अभी तक भी कुछ विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहने की औपचारिकता दिखाते हुए नाम नहीं हटाया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

अतः अविलम्ब सभी राजकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईटों एवं फोटो गैलेरियों से माननीय मख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रीगण एवं मंत्रिगणों की फोटो एवं नाम आज ही हटाते हुए इस विभाग को अवगत करावे अन्यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसे गंभीरता से लिया जावेगा जिसके लिए उत्तरदायी भी निर्धारित किया जा सकता है।

10/10

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

G:\Election Letter.docx